UPSC संपादकीय लेख विश्लेषण 21 जुलाई 2021

संपादकीय लेख 1: भारत को एक आर्थिक प्रोत्साहन की आवश्यकता है जो हरित ऊर्जा संक्रमण में भी मदद कर सके

टॉपिक: सामान्य अध्ययन पेपर 3 (आर्थिक प्रगति)

संदर्भ:

- V-आकार की आर्थिक बहाली प्राप्त करने के लिए बड़ी मांग का प्रोत्साहन आवश्यक है।
- हरित प्रोत्साहन मांग उत्पन्न कर सकता है, वायु प्रदूषण को दूर कर सकता है और हरित ऊर्जा संक्रमण को तेज ला सकता है।
- हरित प्रोत्साहन का अर्थ है कि यह पर्यावरणीय उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए अर्थव्यवस्था को फिर से शुरू करने के लिए संकट व्यय को संयोजित करता है।
- दिवाली के बाद उत्तर भारत में चावल की फसल के अवशेषों को जलाने से वायु प्रदूषण का संकट पैदा होगा, फसल के संपूर्ण अपशिष्ट को पारिश्रमिक मूल्य पर खरीदकर इससे बचा जा सकता है।

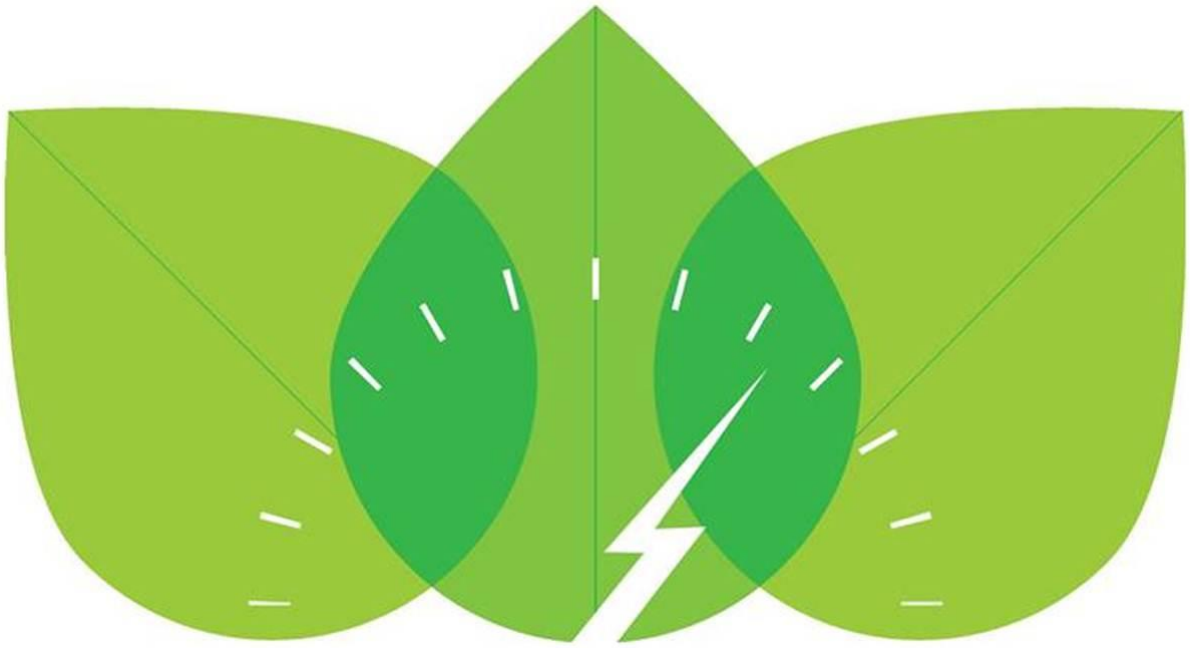

कोयले की ईंट:

- इस अपशिष्ट को कोयले की ईंट (कोयले की धूल का संपीडित ब्लॉक) में बदला जा सकता है, जिसे थर्मल पावर स्टेशनों में कोयले से प्रतिस्थापित किया जा सकता है।

Gradeup UPSC Exams Super Subscription (UPSC CSE & UPSC EPFO) | Access to All Structured Courses & Test Series ENROL NOW

- नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन प्राइवेट लिमिटेड (NTPC) ने कोयले के उत्पादन की लागत को शामिल किए बिना इसे सफलतापूर्वक किया है क्योंकि कोयले की ईंट की लागत ऊर्जा के संदर्भ में कोयले की लागत के बराबर है।
- फसल के अपशिष्ट को कोयले की ईंट में बदलने का कार्य निजी उद्यमियों को दिया जा सकता है। यह रूपांतरण के लिए कई निजी निवेशों को दिया जाएगा, जिससे रूपांतरण उपकरण, श्रम और परिवहन की अधिक मांग पैदा होगी।
- सरकार के लिए बिना किसी लागत के वायु प्रदूषण को कम किया जाएगा।

इलेक्ट्रिक वाहन:

- इलेक्ट्रिक वाहन वायु प्रदूषण नहीं फैलाते हैं, ये प्रति किलोमीटर जीवन चक्र के आधार पर चलाने के लिए काफी सस्ते हैं लेकिन चार्जिंग अवसंरचना की कमी के कारण मांग नहीं बढ़ रही है।
- यदि आवासीय और कार्यालय परिसरों में चार्जिंग अवसंरचना का निर्माण नहीं किया जाता है तो इलेक्ट्रिक वाहनों की मांग नहीं बढ़ेगी और चार्जिंग स्टेशनों पर निवेश से रिटर्न नहीं मिलेगा- यह एक उत्कृष्ट अनसुलक्षी समस्या है।
- सभी शहरों में चार्जिंग स्टेशन बनाने के लिए एक राष्ट्रीय कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इसे केंद्र सरकार द्वारा गारंटीकृत ऋण के माध्यम से पूरी तरह से वित्तपोषित किया जा सकता है।
- इससे इलेक्ट्रिक वाहनों और उनकी विनिर्माण आपूर्ति श्रृंखला के लिए पूरे देश में मांग प्रोत्साहन पैदा होगा।
- बस सेवाओं के लिए इलेक्ट्रिक बसों की खरीद को भी सरकार द्वारा गारंटीकृत ऋण के माध्यम से पूरी तरह वित्तपोषित किया जा सकता है। सरकार के इस कदम से मांग प्रोत्साहन पैदा करने में मदद मिल सकती है और हमारे अत्यधिक प्रदूषित शहरों में वायु गुणवत्ता में भी काफी सुधार होगा।

नवीकरणीय ऊर्जा:

- भारत वर्ष 2030 तक 450 गीगावॉट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता के लक्ष्य के लिए पेरिस समझौते के अंतर्गत अपनी प्रतिबद्धता से काफी आगे बढ़ रहा है।
- प्रगति हासिल करने का आसान तरीका यह है कि राज्यों के लिए एक राष्ट्रीय नीति मार्गदर्शन किया जाए जिससे कि बिजली वितरण कंपनियां एक पारिश्रमिक मूल्य (फीड-इन टैरिफ) की घोषणा कर सकें, जिसके साथ वे ग्रामीण क्षेत्रों से किलोवॉट रेंज में सौर ऊर्जा खरीदेंगे।
- यह वित्त मंत्री के बजट भाषण में भी इंगित किया गया था और इसका पालन करने की भी आवश्यकता थी। इसके लिए प्रसारण निवेश की आवश्यकता नहीं होगी।

Gradeup UPSC Exams Super Subscription (UPSC CSE & UPSC EPFO) | Access to All Structured Courses & Test Series ENROL NOW

- राष्ट्रीय नीति दिशानिर्देशों के अनुसार, वितरण कंपनियों के पैसे की बचत होगी क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली पहुंचाने की उनकी वास्तविक लागत 7 रुपये प्रति यूनिट से अधिक है, जबकि सौर ऊर्जा के लिए टैरिफ में पारिश्रमिक फ़ीड लगभग 4 रुपये प्रति यूनिट हो सकता है।
- सिंचाई के लिए किसानों को आसानी से एक गांव में उत्पन्न सौर ऊर्जा प्रदान की जा सकती है, इससे पानी के अधिक कुशल उपयोग में भी सुविधा होगी।
- यदि हम एक गांव से 1 मेगावाट बिजली का उत्पादन करते हैं तो 6 लाख गांवों के लिए 600 गीगावाट क्षमता का निर्माण करने की संभावना है। इस प्रकार का कार्यक्रम व्यापक रूप से प्रसारित निजी निवेश और बढ़ी हुई आय उत्पन्न कर सकता है।
- जर्मनी ने सौर ऊर्जा के उपयोग में एक वैश्विक नेता बनने के लिए एक फीड-इन टैरिफ का व्यापक प्रभाव से उपयोग किया था।
- अब आधुनिकीकरण में, सभी घरों को रसोई गैस के चूल्हे और सिलेंडर मिल रहे हैं और पहले से ही बिजली के कनेक्शन मिल चुके हैं, अब खाना पकाने के लिए गोबर की आवश्यकता नहीं होती है।
- इसे छोटे ग्राम स्तर के संयंत्रों से गैस में परिवर्तित किया जा सकता है, जिसका उपयोग खाना पकाने और परिवहन के लिए ईंधन के रूप में या बिजली पैदा करने के लिए किया जा सकता है।
- इस गैस की खरीद के लिए सरकार द्वारा प्रचारित प्रणाली या इस गैस से उत्पन्न बिजली, एक पारिश्रमिक मूल्य पर सभी गांवों में निजी निवेश और आय सृजन के लिए सही प्रोत्साहन पैदा करेगी।

निष्कर्ष:

- ✓ विश्व में मवेशियों की सबसे बड़ी आबादी भारत में है इसलिए सभी गोबर को उपयोगी व्यावसायिक ऊर्जा में परिवर्तित करने का लक्ष्य होना चाहिए। यह क्रॉस-सब्सिडी को भी संदर्भित कर सकता है।
- ✓ राष्ट्रीय सौर मिशन को संचालित करने के लिए भी क्रॉस-सब्सिडी का इस्तेमाल किया गया था। तब से लागत नाटकीय रूप से कम हो गई है।
- ✓ ये हरित प्रोत्साहन के लिए कुछ नवीन और किफायती रास्ते हैं, जो व्यापक गुणक प्रभावों के साथ वितरित मांग और रोजगार पैदा करते हैं।

स्रोत:

https://indianexpress.com/article/opinion/columns/india-economic-stimulus-green-energy-transition-7414283/

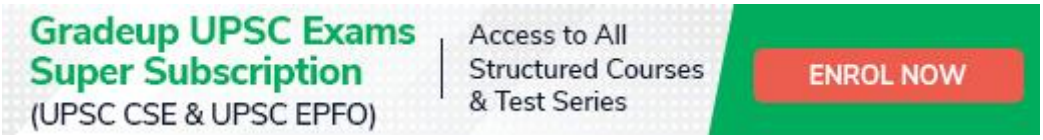

संपादकीय लेख 2: भारत का वाटरगेट मोमेंट पेगासस

टॉपिक: सामान्य अध्ययन पेपर 3 (साइबर सुरक्षा)

संदर्भ:

- आज, खुफिया क्षमता इतनी विकसित हो गई है कि यदि सरकार तानाशाही स्थापित करना चाहे तो विरोध करने का कोई रास्ता नहीं होगा क्योंकि सरकार के विरोध में गठबंधन करने का सबसे सावधानीपूर्ण प्रयास, यहां तक कि निजी प्रयास भी जानना सरकार की पहुंच के भीतर है।
- फ्रैंक चर्च, जिन्होंने वाटरगेट कांड के बाद में स्थापित खुफिया और निगरानी सुधार पर दो समितियों में से एक का नेतृत्व किया था, व्यापक निगरानी के बाद पता चलता है कि किसके द्वारा है, यह अस्पष्ट है लेकिन यह भारत सरकार हो सकती है, जिसने लोगों के फोन पर स्पाइवेयर का उपयोग शुरू किया है।
- स्पाइवेयर की गैर-जवाबदेह बिक्री के अंतर्राष्ट्रीय विनियमन को भारत पर भी लागू किया जाना चाहिए।

अत्यधिक उपयोग

Gradeup UPSC Exams Super Subscription (UPSC CSE & UPSC EPFO) | Access to All Structured Courses & Test Series ENROL NOW

- जिस प्रकार शरीर के लिए नमक की थोड़ी मात्रा आवश्यक है, उसी प्रकार राजनीतिक निकाय के स्वास्थ्य के लिए थोड़ी मात्रा में निगरानी आवश्यक है, अधिक मात्रा दोनों ही संदर्भों में खतरनाक हैं।
- राष्ट्रीय सुरक्षा के बिना संविधान के अंतर्गत प्रदान की गई स्वतंत्रता का आनंद नहीं लिया जा सकता है, समान प्रकार से, यदि स्वतंत्रता का आनंद नहीं लिया जाता है तो राष्ट्रीय सुरक्षा सार्थक नहीं है।
- अत्यधिक और गैर-जवाबदेह निगरानी गोपनीयता, विचार, बोलने की स्वतंत्रता में बाधा डालती है, और लोगों के व्यवहार पर नकारात्मक प्रभाव डालती है, जिससे कानून के शासन की नींव टूट जाती है, जिस पर एक संवैधानिक उदार लोकतंत्र का निर्माण होता है।
- सरकार के अनुसार इसकी सभी निगरानी अधिकृत और न्यायसंगत है लेकिन यदि ऐसा है तो आतंकवाद, संगठित अपराध, जासूसी आदि के लिए अभियोजन को इस प्रकार की निगरानी से प्राप्त सबूतों के आधार पर निष्पादित क्यों नहीं किया जाता है?
- उचित निगरानी के बजाय, व्यक्तिगत और राजनीतिक लाभ के लिए और विरोधियों को परेशान करने के लिए निगरानी शक्तियों के दुरूपयोग के कई उदाहरण हैं।

पहले के उदाहरण

- वर्ष 2012 में, हिमाचल प्रदेश की नई सरकार ने हजारों राजनीतिक सदस्यों और पुलिस महानिदेशक (DGP) सहित कई वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की फोन पर हुई बातचीत को बरामद करने के लिए पुलिस एजेंसियों पर छापा मारा था, जो राज्य में फोन टैप करने के लिए कानूनी रूप से जिम्मेदार हैं।
- 2013 में, भारत के वर्तमान गृह मंत्री "स्नूपगेट" घोटाले में शामिल थे, जहां कथित तौर पर एक आतंकवाद-रोधी इकाई के प्रमुख द्वारा एक युवा वास्तुकार और उसके परिवार के सदस्यों पर बिना किसी कानूनी कानूनी कार्रवाई के आधार के गुप्त निगरानी करने के लिए फोन रिकॉर्डिंग में कहा गया था।
- बाद में, गुजरात सरकार ने फोन टैपिंग सहित स्नूपगेट की निगरानी को स्वीकार किया था लेकिन दावा किया था कि यह महिला के पिता द्वारा मुख्यमंत्री के अनुरोध पर किया गया था।
- हालांकि, कोई आदेश हस्ताक्षरित नहीं किया गया था क्योंकि फोन टैप करने की कोई कानूनी आवश्यकता नहीं थी।
- बाद में, गुजरात उच्च न्यायालय ने वास्तुकार और उसके पिता के अनुरोध पर "स्नूपगेट" की जांच को इस चौंकाने वाले आधार पर बंद कर दिया था कि इसमें "सार्वजनिक हित शामिल नहीं था"।

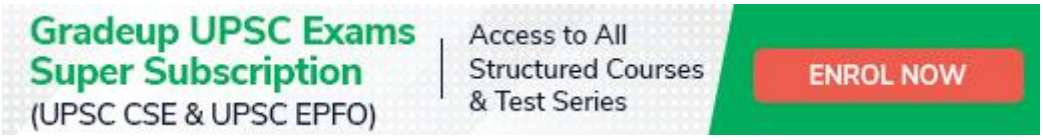

- 2009 में, संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय में स्वीकार किया था कि CBDT ने PR पेशेवर नीराराडिया को विदेशी जासूस होने के डर से निगरानी में रखा था। हालांकि उसकी वास्तविक पहचान की पहचान की गई थी लेकिन उन्होंने उस पर जासूसी का मुकदमा नहीं चलाया था।
- मेघालय में भी, निजी कंपनी एस्सार समूह "व्यापार में विरोधियों या विरक्त जीवनसाथी" के फोन कॉल को टैप करने के लिए पुलिस संपर्कों का दुरूपयोग करके अवैध निगरानी में लिप्त था।
- गैर-कानूनी निगरानी के कई अन्य उदाहरण हैं, जो राजनीतिक और व्यक्तिगत लाभ के लिए किए गए थे और जिनका राष्ट्रीय सुरक्षा या संगठित अपराध से कोई लेना-देना नहीं है।
- इस प्रकार की अवैध निगरानी की पहचान होने के बाद भी कुछ ही लोगों को कानूनी रूप से जवाबदेह ठहराया गया था।

कानून

- वर्तमान में, CrPC की धारा 92 (कॉल रिकॉर्ड आदि के लिए), टेलीग्राफ नियमों के नियम 419A और IT अधिनियम की धारा 69 और 69B के अंतर्गत नियम संचार के अवरोधन और निगरानी को अधिकृत करते हैं।
- पहले से ही निगरानी और अवरोधन के लिए सीमित संख्या में एजेंसियां हैं, इसके अंतर्गत यह स्पष्ट नहीं है कि टेलीग्राफ अधिनियम कब लागू होता है और IT अधिनियम कब लागू होता है।
- 2014 में गृह मंत्रालय ने भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम के अंतर्गत एक अवरोधन करने के लिए नौ केंद्रीय एजेंसियों और सभी राज्यों और दिल्ली के DGP को नामित किया था।
- 2018 में भी, IT अधिनियम की धारा 69 के अंतर्गत, नौ केंद्रीय एजेंसियों और एक राज्य एजेंसी को अवरोधन करने के लिए अधिकृत किया गया था।
- हालांकि, खुफिया एजेंसी के कर्मचारियों की नागरिक स्वतंत्रता को प्रतिबंधित करने वाले खुफिया संगठन अधिनियम ने केवल चार एजेंसियों को सूचीबद्ध किया है।
- जबकि RTI अधिनियम ने 22 एजेंसियों को "केंद्र सरकार द्वारा स्थापित खुफिया और सुरक्षा संगठनों" के रूप में सूचीबद्ध किया है और राहत प्रदान की है।
- इसके अतिरिक्त CMS, TCIS, NETRA, CCTNS जैसे कार्यक्रमों के साथ एक अनधिकृत निगरानी वर्णमाला सूप है, जो 2017 के. एस. पुत्तास्वामी फैसले की शर्तों के अनुसार नहीं है।
- निर्णय के अनुसार, गोपनीयता के आक्रमण को तभी उचित ठहराया जा सकता है जब यह तीन परीक्षणों को पूरा करे: पहला, प्रतिबंध कानून द्वारा होना चाहिए, दूसरा, यह आवश्यक होना चाहिए (केवल यदि अन्य साधन उपलब्ध नहीं हैं) और आनुपातिक (केवल उतना ही जितना आवश्यक हो) होना चाहिए और तीसरा, इसे एक वैध राज्य हित (जैसे: राष्ट्रीय सुरक्षा) को बढ़ावा देना चाहिए।

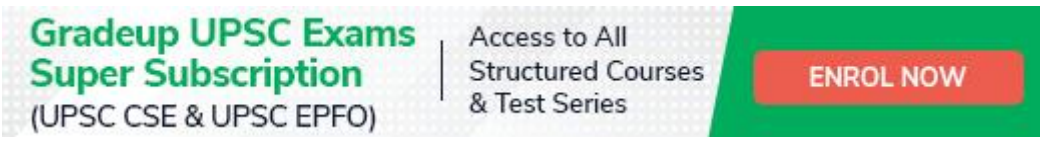

- 2010 में, तत्कालीन उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी ने यह सुनिश्चित करने के लिए एक खुफिया पर संसद की एक स्थायी समिति बनाने का आह्वान किया था कि वे नागरिक स्वतंत्रता के प्रति जवाबदेह और सम्मानजनक बने रहें।
- 2011 में, निगरानी पर कैबिनेट सचिव ने माना था कि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के पास अवरोधन शक्तियां थीं, जो टेलीग्राफ अधिनियम पर 1975 के सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का उल्लंघन था।
- बाद में, सांसद मनीष तिवारी ने खुफिया एजेंसियों को एक विधायी ढांचे के अंतर्गत लाने के लिए एक निजी सदस्य का विधेयक पेश किया था लेकिन विधेयक जल्द ही समाप्त हो गया था।
- 2013 में, रक्षा एवं रणनीतिक विश्लेषण संस्थान ने एक रिपोर्ट "ए केस फॉर इंटेलिजेंस रिफॉर्म्स इन इंडिया" प्रकाशित की थी, जिसमें सिफारिश की गई थी कि भारत में खुफिया एजेंसियों को उनके अस्तित्व और कामकाज के लिए एक कानूनी ढांचा प्रदान किया जाना चाहिए और उन्हें संसद की निगरानी और जांच के अधीन होना चाहिए।
- 2018 में, डेटा संरक्षण पर श्रीकृष्ण समिति ने कहा था कि के. एस. पुत्तास्वामी के निर्णय के बाद भारत की अधिकांश खुफिया एजेंसियां "संभावित रूप से असंवैधानिक" हैं, इसे राष्ट्रीय खुफिया एजेंसी को छोड़कर संसद की क़ानून के अंतर्गत पारित नहीं किया गया है।
- भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी, पहली पार्टी थी, जिसने अपने 2019 के चुनावी घोषणापत्र में खुफिया एजेंसियों की संसदीय निगरानी का आह्वान किया था।

वाटरगेट के बाद के सुधार

- 2013 के स्नोडेन खुलासे में पक्षपातपूर्ण राजनीतिक उद्देश्यों के लिए विपक्षी राजनेताओं, पत्रकारों, न्यायाधीशों और मानवाधिकार रक्षकों की जासूसी का खुलासा नहीं हुआ था।
- इसने NSA की निगरानी की सीमा, PATRIOT अधिनियम के अंतर्गत प्रदान की गई शक्तियों की अधिकता और विदेशी खुफिया निगरानी न्यायालय द्वारा प्रदान की गई पर्याप्त जांच और संतुलन की कमी का खुलासा किया था।
- स्नोडेन घटना के बाद, सार्थक सुधार हुए हैं और 2020 में PATRIOT अधिनियम के विवादास्पद घरेलू निगरानी प्रावधान समाप्त हो गए।

निष्कर्ष:

✓ भारत को भी सार्थक सुधारों की आवश्यकता है, जिसका उद्देश्य खुफिया जानकारी को पेशेवर बनाना है।

Gradeup UPSC Exams Super Subscription (UPSC CSE & UPSC EPFO) | Access to All Structured Courses & Test Series ENROL NOW

- ✓ खुफिया एजेंसियों को संसदीय निगरानी में लाकर उन्हें गैर-पक्षपातपूर्ण बनाना और यह सुनिश्चित करना कि नागरिक स्वतंत्रता और कानून के शासन की रक्षा की जाती है, सरकार भारत की अधिकता और खुफिया और प्रौद्योगिकी के दुरूपयोग पर जांच बैठा सकती है।
- ✓ भारत के वाटरगेट मोमेंट के लिए समय परिपक्व है और सर्वोच्च न्यायालय और संसद को इसका लाभ उठाना चाहिए।

स्रोत:

Pegasus is India's Watergate moment: https://thg.page.link/cJgimXNvvk7FVtmR6

gradeup

Gradeup UPSC Exams Super Subscription (UPSC CSE & UPSC EPFO) | Access to All Structured Courses & Test Series ENROL NOW